



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2019/6581

दिनांक:- 05.09.2019

---कार्यवाही विवरण:---

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019 को आयुक्त महोदय, जोधपुर, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपरिष्ठत सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
1.	-	भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 05/2019 वीं बैठक दिनांक 08.07.2019 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि	समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।
2.	-	पूर्व बैठकों में अनुमोदित ले-आउट प्लान के संबंध में नीतिगत निर्णय।	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> उपरोक्त विषयान्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठकों के कार्यवाही विवरण जारी होने के उपरान्त आवेदकों द्वारा कार्यालय में क्लोथ मिडिया पर मानचित्र काफी समय तक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं जिसके कारण प्राधिकरण की राजस्व पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः निर्देशानुसार भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठकों के कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से एक माह के पश्चात् आवेदकों को अन्तिम नोटिस के रूप में 10 दिवस का क्लोथ मिडिया पर मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय दिया जाना प्रस्तावित है तथा 10 दिवस में नियमानुसार मानचित्र नहीं प्रस्तुत किये जाने पर उक्त प्रकरण से संबंधित समस्त कार्यवाही निरस्त किया जाना तथा आवेदक द्वारा पूर्व में जमा करवाई गयी समस्त राशि को जब्त किये जाने हेतु नीतिगत निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :-</p> <ul style="list-style-type: none"> पूर्व समितियों में अनुमोदित प्रकरणों के मानचित्र क्लोथ मिडिया पर 30 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु आयोजना शाखा स्तर पर विज्ञापित जारी की जावे। दिनांक 01.09.2019 से 01.10.2019 तक एक माह में प्रस्तुत नहीं करने पर ले-आउट प्लान स्वतः निरस्त माना जाएगा। सभी प्रक्रिया नये सिरे से पुनः करनी होगी। आगामी बैठकों में प्रकरण सम्पूर्ण तकनीकी परीक्षण कर व जोन से समस्त रिपोर्ट प्राप्त कर एवं क्लोथ मिडिया पर मानचित्र के साथ प्रस्तुत किये जावे। बैठक उपरान्त मानचित्र सही पाये जाने पर समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जावे। मानचित्र सही नहीं पाये जाने पर वांछित दिशा निर्देश जारी कर व कमियों की पूर्ति कर आगामी बैठक में रखा जावे। कार्यालय आदेश दिनांक 20.04.2019 को बैठकों के संबंध में आदेश की सख्ती से पालना की जावे। यदि किसी कारणवश बैठक आयोजित नहीं होती है तो उक्त बैठक आगामी कार्यदिवस में रखा जावे। बैठकों का एजेण्डा दो दिवस पूर्व ही जारी किया जावे। बैठक उपरान्त स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड हेतु एन.आई.सी शाखा को भिजवाई जावे।
3.	दक्षिण	विवेक विहार व्यावसायिक योजना में 13 ब्लॉक की योजना अनुमोदन बाबत।	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> विवेक विहार योजना जोधपुर विकास प्राधिकरण की अनुमोदित योजना है। उक्त योजना के विभिन्न सेक्टरों में व्यवसायिक उपयोग हेतु ब्लॉक आरक्षित है। उक्त योजना में भवन मानचित्र समिति

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

		<p>आवेदक :- जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बी.पी) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019</p>	<p>(ले-आउट प्लान) की बैठक दिनांक 27.02.2019 को सात व्यवसायिक ब्लॉक व बैठक दिनांक 10.04.2019 को 10 ब्लॉक, बैठक दिनांक 22.05.2019 को 10 ब्लॉक व बैठक दिनांक 10.06.2019 को 07 ब्लॉक ले-आउट अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया था। उक्त के क्रम में अभियांत्रिकी शाखा से प्राप्त 13 ब्लॉक जे1/160, जे2/160, जे1/60, के1/100, के1/40, के2/160, एल1/160, एल1/100, एल1/60, एम1/100, एन2/100, एन3/100 व एन4/100 की मौका रिपोर्ट व विवेक विहार योजना आवाप्त सुदा भूमि आवंटन की लॉटरी अनुसार व विवेक विहार योजना के अनुमोदित मानचित्र अनुसार प्लानिंग कर मानचित्र तैयार किये गये हैं।</p> <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से 12 ब्लॉक जे1/160, जे2/160, जे1/60, के1/100, के2/160, एल1/160, एल1/100, एल1/60, एम1/100, एन2/100, एन3/100 व एन4/100 के ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p> <p>ब्लॉक के1/40 की पुनः जाँच कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
4.	पूर्व	<p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 414/1, 414/2 व 414/3 रकबा 11.10.00 बीघा के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री विजय मेहरा व श्री जय मेहरा पुत्र श्री जोराराम</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 27.02.2019 में अनुमोदित प्रश्नगत प्रकरण में लिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवेदित भूमि तक दर्शाये गये 60 फीट पहुँच मार्ग को निरन्तर नहीं किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण को भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 08.07.2019 में रखा गया तथा पूर्व में दिनांक 27.02.2019 को आवेदित भूमि तक दर्शायी गयी 60 फीट सड़क को निरन्तर किये जाने बाबत लिये गये निर्णय के क्रम में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवेदित भूमि तक दर्शाये गये 60 फीट पहुँच मार्ग को निरन्तर नहीं किये जाने का निवेदन किया गया जिसके क्रम में दिनांक 08.07.2019 को आयोजित भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक में उक्त सड़क के आस-पास की मौका रिपोर्ट जोन स्तर पर प्राप्त किये जाने तथा उक्त सड़क से किन-किन खसरानु की भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, बाबत टिप्पणी उपरान्त आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पैरा संख्या 42/एन पर पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के आस पास स्थित खसरों की भूमि बाबत रिपोर्ट निम्नानुसार है :- खसरा संख्या 400 को पृथक से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है, खसरा संख्या 413 से आवेदित भूमि को 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, खसरा संख्या 374 व 376 में पी.एच.ई.डी का कुडी होद निर्मित है व खसरा संख्या 414 को प्रश्नगत सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त नहीं हो रहा है। उक्त रिपोर्ट अनुसार ले-आउट प्लान में अंकित 60 फीट सड़क सीधे खसरा संख्या 374 को लिंक करती है जहा पर कुडी होद निर्मित है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय में सशोधन किये जाने पर विचार किया जा सकता है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि में 60 फीट मार्ग को निरन्तर नहीं करते हुए पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
5.	पूर्व	<p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 86 मीन व 93/1 मीन रकबा 02.01.08 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री गोमाराम उर्फ गोविन्दराम पुत्र श्री पुरखाराम वगैरहा</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 100 फीट सड़क पर स्थित है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय के क्रम में न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क एवं खुला क्षेत्र का प्रावधान



		<p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019</p>	<p>किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तावित ले-आउट प्लान में वृक्षारोपण/पार्क हेतु 12.65 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित किया गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रकरण को भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 08.07.2019 में रखा गया तथा मौके पर भूमि में से गुजर रही एच.टी लाईन एवं सेन्ट पॉल स्कूल में जाने वाली सड़क की चौड़ाई मानचित्र में अंकित नहीं होने के कारण पुनः जोन स्तर पर मौका रिपोर्ट उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। ● समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में जोन स्तर से रिपोर्ट प्राप्त की गयी तथा पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि में से कोई एच.टी लाईन नहीं गुजर रही है, केवल एक इलेक्ट्रिक लोहे का पोल सड़क भाग में स्थित है तथा सड़क भाग में ही एक ट्रांसफॉर्मर है। पूर्व में संचालित एच.टी लाईन की केबल को भूमिगत किया गया है। साथ ही उक्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर सेन्ट पॉल स्कूल तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई को ले-आउट प्लान में दर्शाया गया है, जो की लगभग 30 से 35 फीट है डायसीन सोसाइटी की निजी खातेदारी भूमि है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित सड़क के सम्बन्ध में जाँच कर तथा भूमिगत एच.टी. लाईन के सेफ्टी कोरीडोर बाबत रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
6.	पूर्व	<p>राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 580/4, 580/5, 580/6, 580/7 व 580/8 रकबा 12.00.00 बीघा में से 07.10.00 बीघा के एकल भूखण्ड रिपोर्ट प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री श्यामसुन्दर एवम श्रीमती चन्द्रकांता</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि से पहुँच सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट है, आवेदित भूमि जोधपुर-जयपुर 100 फीट सड़क (वाया बनाड) जो डामर सड़क है। ● जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर मौके पर चारदीवारी, दो गार्ड रूम 15'X28' व सर्वेन्ट क्वाटर 30'X50' एवं पक्का निर्माण 30'X40' है। ● जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के 100 फीट सड़क भाग में एच.टी लाईन व ट्रांसफॉर्मर स्थित है। ● मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि में से गुजर रही 11 के.वी व 33 के.वी की विद्युत लाईनों का अंकन मानचित्र पर करवाया जाना अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग जोधपुर-जयपुर मुख्य सड़क से प्राप्त हो रहा है उक्त सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान प्रावधान अनुसार 200 फीट रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 100 फीट समर्पित की जानी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। ● सड़क मार्गाधिकार पश्चात् 100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जानी होगी। ● आवेदित भूमि के उत्तर में अंकित रास्ते का मार्गाधिकार न्यूनतम 60 फीट रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 30 फीट भूमि निःशुल्क समर्पित कि जानी होगी। जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। ● मौके पर स्थित सड़क से आवेदित भूमि की दूरी बाबत रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। ● प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। ● उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। ● प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

			<ul style="list-style-type: none"> • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोड़ा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
7.	पूर्व	<p>राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 41 के आवासीय पट्टा सुद भूखण्ड सं. 01 क्षेत्रफल 5197.28 वर्गगज का आवासीय योजना ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री अवधेश सिंह पुत्र श्री श्यामसिंह,</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वी बैठक दिनांक 29.08.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी श्री अवधेशसिंह पुत्र श्री श्यामसिंह ने खारडा रणधीर खसरा संख्या 41 के पट्टा सुदा भूखण्ड संख्या 1 का राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत योजना ले-आउट प्लान अनुमोदन चाहा है। उक्त भूखण्ड का आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.11.2009 को जारी किया गया है। • राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 18.05.2018 अनुसार "कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण पश्चात् राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधान संख्या 4.03 (i) के तहत एकल पट्टा जारी किये जाने के पश्चात् भूखण्ड पर एक से अधिक भूखण्डों मय सड़क इत्यादि का ले-आउट प्लान प्रस्तावित किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में ले-आउट प्लान का अनुमोदन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 (Above 10 Ha) के प्रावधान संख्या 5.0 (Table-B) अथवा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 (Upto 10 Ha) के प्रावधान संख्या-4.0 (Table-A) के तहत मानदण्डों एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों द्वारा दिये गये निर्देशों को समायोजित करते हुये किया जावेगा। • ले-आउट प्लान में आन्तरिक विकास हेतु मानदण्डों एवं नियमों की पालना राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधान के तहत सुनिश्चित किया जाना होगा। नियमानुसार उप विभाजन शुल्क एवं अन्य देय शुल्क जमा कराये जाने होंगे। • उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत ले-आउट प्लान का तकनीकी दृष्टि से परीक्षण कर लिया गया है एवं ले-आउट प्लान समिति के समक्ष रखने की अनुशंसा की जाती है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क की भूमि छुडवाते हुए निर्धारित चैकलिस्ट की पूर्ति करते हुए आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
8.	पश्चिम	<p>राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 97 के पट्टा सुद एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 8478.79 वर्गगज के आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री नूर मोहम्मद पुत्र श्री दीन मोहम्मद</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वी बैठक दिनांक 29.08.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी श्री नूर मोहम्मद पुत्र श्री दीन मोहम्मद ने दिनांक 30.04.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 97 के पट्टा सुदा भूखण्ड का उपविभाजन पर राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत योजना ले-आउट प्लान अनुमोदन चाहा है। उक्त भूखण्ड का ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ आवासीय एकल पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.01.2014 को जारी किया गया है। • राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 18.05.2018 अनुसार "कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण पश्चात् राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधान संख्या 4.03 (i) के तहत एकल पट्टा जारी किये जाने के पश्चात् भूखण्ड पर एक से अधिक भूखण्डों मय सड़क इत्यादि का ले-आउट प्लान प्रस्तावित किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में ले-आउट प्लान का अनुमोदन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 (Above 10 Ha) के प्रावधान संख्या 5.0 (Table-B) अथवा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 (Upto 10 Ha) के प्रावधान संख्या-4.0 (Table-A) के तहत मानदण्डों एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों द्वारा दिये गये निर्देशों को समायोजित करते हुये किया जावेगा। • ले-आउट प्लान में आन्तरिक विकास हेतु मानदण्डों एवं नियमों की पालना राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधान के तहत सुनिश्चित किया जाना होगा। नियमानुसार उप विभाजन शुल्क एवं अन्य देय शुल्क जमा कराये जाने होंगे।"

311)

8


2

4

		<ul style="list-style-type: none"> उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत ले-आउट प्लान का तकनीकी दृष्टि से परीक्षण कर लिया गया है एवं ले-आउट प्लान समिति के समक्ष रखने की अनुशंसा की जाती है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त नियमानुसार ईम्फोर्मल/व्यवसायिक का प्रावधान एवम् न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र/पार्क हेतु भूमि छुड़वाते हुए निर्धारित चैकलिस्ट में आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही कुछ प्रकरणों में आयोजना शाखा द्वारा बिना चैकलिस्ट के बैठक में प्रस्तुत किये हैं जो स्वीकार्य नहीं है अतः भविष्य में बिना चैकलिस्ट पत्रावली समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने बाबत निर्देशित किया गया।</p>
9.	पश्चिम	<p>राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 279/1, 279/2, 280, 281 रकबा 57.09.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी श्री कुशालराम वगैरह</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019</p>
		<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि से पहुँच सड़क का मार्गाधिकार 30 फीट है। आवेदित भूमि में पहुँच मार्ग खसरा संख्या 287 गै.मु रास्ते से खसरा संख्या 278 जेडिए की स्वामित्व की भूमि में से है। राजस्व नक्शे अनुसार गै.मु रास्ते एवम् आवेदक की भूमि के मध्य 15 फीट प्राधिकरण की भूमि में से पहुँच मार्ग है। आवेदित भूमि के उपर से एक इलेक्टिक लाईन गुजर रही है। आवेदित भूमि को न्यूनतम आवश्यक पहुँच मार्ग 80 फीट बाबत समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। प्रकरण को भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 08.07.2019 में रखा गया तथा आवेदित भूमि को न्यूनतम आवश्यक 40 फीट की सुनिश्चितता हेतु मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में जोन स्तर पर रास्ते हेतु नियमानुसार शुल्क लिया गया तथा पैरा 27/एन पर रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार न्यूनतम 80 फीट रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 40 फीट भूमि निःशुल्क समर्पित कि जानी होगी जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जानी होगी। मौके पर स्थित सड़क से आवेदित भूमि की दूरी बाबत रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोड़ा जाना होगा। उक्त सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
10.	उत्तर	<p>राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 188/1, 188/11, 188/2, 188/10 रकबा 10.03.00 बीघा के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री प्रकाशचन्द्र पुत्र श्री कानाराम वगैरहा, श्री मांगीलाल विक्रम पुत्र श्री मोडाराम वगैरहा</p>
		<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> राजस्व ग्राम आंगणवा खसरा संख्या 188/1 व 188/11 रकबा 05.00.00 बीघा तथा राजस्व ग्राम आंगणवा खसरा संख्या 188/2, 188/10 रकबा 05.03.00 बीघा के दो अलग-अलग प्रकरणों को भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 08.07.2019 में रखा गया तथा दोनों प्रकरणों का पृथक-पृथक अनुमोदन कर आयोजना शाखा द्वारा हस्ताक्षर कर जोन को प्रेषित किये गये। जोन चैकलिस्ट अनुसार उक्त दोनों प्रकरणों में 90-क के तहत निर्णय भी किया जा चुका है। वर्तमान में आवेदकों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दोनों योजनाओं का सयुक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन

		भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019	किये जाने का निवेदन किया गया है। जोन द्वारा एकजाई सुपरइम्पोज मानचित्र पत्रावली के पृष्ठ संख्या 53 पर संलग्न है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त संयुक्तिकरण शुल्क प्राधिकरण में जमा करवाने की शर्त पर संयुक्त ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
11.	उत्तर	राजस्व ग्राम दर्ईजर के खसरा संख्या 183/4 रकबा 08.00.00 बीघा के संस्थागत प्रयोजनार्थ (वृद्धाश्रम) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- वात्सल्य जरिये श्री अनिल मेहता वगैरहा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- <ul style="list-style-type: none"> • जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 30 फीट कटाण मार्ग खसरा संख्या 196 पर स्थित है। अतः कटाणी मार्ग बाबत निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। • जोन चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में मौके पर तारबंदी की हुई है। • जोन द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम दर्ईजर के पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर कटाणी मार्ग की चौड़ाई 40 फीट है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- <ul style="list-style-type: none"> • राजस्व ग्राम दर्ईजर के पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर कटाणी मार्ग की चौड़ाई 40 फीट है। अतः उक्त की सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। • आवेदित भूमि के सामने स्थित कटाणी रास्ते का मार्गाधिकार न्यूनतम 60 फीट रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 30' भूमि निशुल्क समर्पित की जानी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। • मौके पर स्थित सडक से आवेदित भूमि की दूरी बाबत रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्ररनगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंभित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोड़ा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
12.	उत्तर	राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा संख्या 86/3, 86/9, 86/10 रकबा 12.07.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री वीराराम पुत्र श्री हरजीराम वगैरहा भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- <ul style="list-style-type: none"> • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 200 फीट जैसलमेर-नागौर रिंग रोड पर स्थित है। जो डब्ल्यू.बी.एम सडक है। • आवेदित भूमि कुल रकबा 12.13.00 बीघा में से कार्यालय पत्रांक 210-212 दिनांक 16.10.2015 द्वारा खसरा संख्या 86/3 में से रकबा 00.06.00 बीघा भूमि सडक हेतु अधिग्रहण की जा चुकी है। • प्रकरण को भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 08.07.2019 में रखा गया तथा आवेदित भूमि को रिंग रोड हेतु अवाप्त भूमि उपरान्त शेष भूमि को नवीन मानचित्र पर सुपरइम्पोज कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। • समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पुनः नवीन मानचित्र को जोन स्तर से सुपरइम्पोज कर पत्रावली में पृष्ठ संख्या 27 पर संलग्न है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- <ul style="list-style-type: none"> • आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग जैसलमेर-नागौर रिंग रोड से प्राप्त हो रहा है उक्त सडक का मार्गाधिकार मास्टर प्लान प्रावधान अनुसार

			<p>200 फीट रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 100 फीट समर्पित की जानी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> सड़क मार्गाधिकार पश्चात् 100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जानी होगी। मौके पर स्थित सड़क से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोड़ा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
13.	उत्तर	<p>राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा संख्या 86/2 रकबा 11.11.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ (योजना) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री बीजाराम पुत्र श्री कुम्माराम वगैरहा</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वी बैठक दिनांक 29.08.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 200 फीट जैसलमेर-नागौर रिंग रोड पर स्थित है। जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि रिंग रोड हेतु 06 बिस्वा भूमि आवाप्त की गयी है। प्रकरण को भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 08.07.2019 में रखा गया तथा आवेदित भूमि को रिंग रोड हेतु अवाप्त भूमि उपरान्त शेष भूमि को नवीन मानचित्र पर सुपरइम्पोज कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पुनः नवीन मानचित्र को जोन स्तर से सुपरइम्पोज कर पत्रावली में पृष्ठ संख्या 27 पर संलग्न है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग जैसलमेर-नागौर रिंग रोड से प्राप्त हो रहा है उक्त सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान प्रावधान अनुसार 200 फीट रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 100 फीट समर्पित की जानी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। सड़क मार्गाधिकार पश्चात् 100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जानी होगी। मौके पर स्थित सड़क से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोड़ा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
14.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/27, 128/28, 128/9 रकबा 01.03.</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> जोन चैकलिस्ट अनुसार राज्य सरकार को समर्पित 15 फीट चौड़ा

का


	<p>04 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री संजय कुमार पुत्र श्री चन्द्रभान</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019</p>	<p>तरमीम मार्ग जिसे 80 फीट चौड़ा मानते हुए पूर्व में खसरा संख्या 126/7 का मानचित्र अनुमोदित किया जा चुका है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रकरण को भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 08.07.2019 में रखा गया तथा प्रकरण में आवेदित भूमि को आस पास सड़क की मौका रिपोर्ट एवम् उक्त सड़क पर पूर्व में संपरिवर्तित प्रकरणों में निर्धारित सड़क चौड़ाई की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा न्यूनतम पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाने हेतु प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। • समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में जोन स्तर से रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिसके अनुसार आवेदित भूमि 80 फीट समर्पित सड़क पर स्थित है। समर्पित भूमि के खसरा संख्या 128/30 व 128/40 है। साथ ही पैरा संख्या 19/एन पर पटवारी रिपोर्ट अनुसार पूर्व में कार्यालय द्वारा खसरा संख्या 126/7 के सामने स्थित 26 फीट राजस्व मार्ग को 80 फीट मार्गाधिकार करते हुए अनुमोदन किया गया है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग पर पूर्व में 80 फीट मार्गाधिकार रखते हुए संपरिवर्तन किये गये हैं अतः उक्त रास्ते का मार्गाधिकार न्यूनतम 80 फीट रखने हेतु सड़क मध्य से 40 फीट भूमि निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। • मौके पर स्थित सड़क से आवेदित भूमि की दूरी बाबत रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेप्टी कॉरिडोर छोड़ा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
15.	<p>दक्षिण राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/15 रकबा 01.14.02 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री अनुज सोनी पुत्र श्री राधेश्याम वगैरहा</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का मार्गाधिकार 80 फीट कटाणी मार्ग है, फैंक्टीनुमा भवन निर्मित है। कटाणी मार्ग का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित है। • प्रकरण में बिन्दु 5 अनुसार सम्पूर्ण ग्राम पर आपत्ति प्राप्त है जिसके सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। • आवेदित भूमि के सुपरइम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सड़क के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। • प्रकरण को भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 27.02.2019 में रखा गया तथा जमाबन्दी एवम् ले-आउट प्लान में क्षेत्रफल में भिन्नता होने के कारण प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। • समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में जोन स्तर पर जांच की गयी तथा जमाबन्दी एवं मौका स्थिति में 32.45 वर्गगज भूमि अधिक पायी गयी। उक्त क्रम में प्रार्थी को जोन स्तर से दिनांक 01.05.2019 को पत्र जारी किया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त भूमि हेतु राशि जमा करवाने का निवेदन किया गया। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट</p>

			<p>प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार न्यूनतम 80 फीट रखने हेतु सड़क मध्य से 40 फीट भूमि निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। मौके पर स्थित सड़क से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। मौके पर सेटबैक क्षेत्र में निर्मित भवन को हटाये जाने का शपथ पत्र प्राप्त कर ही पट्टा विलेख जारी किया जावे। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोड़ा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
16.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/13, 128/11, 128/18, 128/16, 128/14 रकबा 01.12.10 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री राजेन्द्र पुत्र श्री बालाराम वगैरहा</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> जोन चैकलिस्ट अनुसार राज्य सरकार को समर्पित 15 फीट चौड़ा तरमीम मार्ग जिसे 80 फीट चौड़ा मानते हुए पूर्व में खसरा संख्या 126/7 का मानचित्र अनुमोदित किया जा चुका है। प्रकरण को भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 08.07.2019 में रखा गया तथा प्रकरण में आवेदित भूमि को आस पास सड़क की मौका रिपोर्ट एवम् उक्त सड़क पर पूर्व में संपरिवर्तित प्रकरणों में निर्धारित सड़क चौड़ाई की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा न्यूनतम पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाने हेतु प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में जोन स्तर से रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिसके अनुसार आवेदित भूमि 80 फीट समर्पित सड़क पर स्थित है। समर्पित भूमि के खसरा संख्या 128/34 व 128/35 है। साथ ही पैरा संख्या 21/एन पर पटवारी रिपोर्ट अनुसार पूर्व में कार्यालय द्वारा खसरा संख्या 126/7 के सामने स्थित 26 फीट राजस्व मार्ग को 80 फीट मार्गाधिकार करते हुए अनुमोदन किया गया है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग पर पूर्व में 80 फीट मार्गाधिकार रखते हुए संपरिवर्तन किये गये हैं अतः उक्त रास्ते का मार्गाधिकार न्यूनतम 80 फीट रखने हेतु सड़क मध्य से 40 फीट भूमि निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। मौके पर स्थित सड़क से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है

			तो नियमानुसार सेपटी कॉरिडोर छोड़ा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
17.	दक्षिण	राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1966/1088 रकबा 00.18.10 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री सुनील पुत्र श्री गौरीशंकर भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- <ul style="list-style-type: none"> जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 60 फीट सड़क पर स्थित है। प्रारूप-7 अनुसार राज्य सरकार को रास्ता प्रयोजनार्थ समर्पित भूमि में से 60 फीट रास्ता उपलब्ध है। पत्रावली में संलग्न पट्टा अनुसार उक्त सड़क को पूर्व में 80 फीट चौड़ा किया गया है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- <ul style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार न्यूनतम 80 फीट रखने हेतु सड़क मध्य से 40 फीट भूमि निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। मौके पर स्थित सड़क से आवेदित भूमि की दूरी बाबत रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेपटी कॉरिडोर छोड़ा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
18.	दक्षिण	राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1088/740/8 रकबा 00.16.07 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्रीमती गंगादेवी पत्नी श्री गौरीशंकर भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019	समिति को अवगत करवाया गया कि :- <ul style="list-style-type: none"> जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 100 फीट सड़क पर स्थित है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- <ul style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार न्यूनतम 100 फीट रखने हेतु सड़क मध्य से 50 फीट भूमि निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। मौके पर स्थित सड़क से आवेदित भूमि की दूरी बाबत रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेपटी कॉरिडोर छोड़ा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
19.	दक्षिण	राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/22, 128/15, 128/12 रकबा 01.18.08 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।	समिति को अवगत करवाया गया कि :- <ul style="list-style-type: none"> जोन चैकलिस्ट अनुसार राज्य सरकार को समर्पित 15 फीट चौड़ा तरमीम मार्ग जिसे 80 फीट चौड़ा मानते हुए पूर्व में खसरा संख्या 126/7 का मानचित्र अनुमोदित किया जा चुका है।

		<p>आवेदक :- श्री राजेन्द्र पुत्र श्री बालाराम श्रीमती जशोदा पत्नी श्री राजेन्द्र, श्री संजय कुमार पुत्र श्री चन्द्रमान</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रकरण को भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 08.07.2019 में रखा गया तथा प्रकरण में आवेदित भूमि को आस पास सड़क की मौका रिपोर्ट एवम् उक्त सड़क पर पूर्व में संपरिवर्तित प्रकरणों में निर्धारित सड़क चौड़ाई की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा न्यूनतम पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाने हेतु प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। • समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में जोन स्तर से रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिसके अनुसार आवेदित भूमि 80 फीट समर्पित सड़क पर स्थित है। समर्पित भूमि के खसरा संख्या 128/30 व 128/40 हैं। साथ ही पैरा संख्या 22/एन पर पटवारी रिपोर्ट अनुसार पूर्व में कार्यालय द्वारा खसरा संख्या 126/7 के सामने स्थित 26 फीट राजस्व मार्ग को 80 फीट मार्गाधिकार करते हुए अनुमोदन किया गया है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग पर पूर्व में 80 फीट मार्गाधिकार रखते हुए संपरिवर्तन किये गये हैं अतः उक्त रास्ते का मार्गाधिकार न्यूनतम 80 फीट रखने हेतु सड़क मध्य से 40 फीट भूमि निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। • मौके पर स्थित सड़क से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोड़ा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
20.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 434/4 रकबा 02.01.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।</p> <p>आवेदक :- श्री हेमाराम चौधरी पुत्र श्री धानाराम चौधरी</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रारूप 7 रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को 20 फीट कटाणी मार्ग से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। अतः कटाणी मार्ग के मार्गाधिकार के संबंध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। • पूर्व में ग्राम पाल के ख.नं. 434/2 का ले-आउट प्लान उक्त कटाणी मार्ग को 60' रखते हुए अनुमोदित है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार न्यूनतम 60 फीट रखने हेतु सड़क मध्य से 30 फीट भूमि निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। • मौके पर स्थित सड़क से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

			<ul style="list-style-type: none"> • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी. लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोड़ा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
21.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 126/20, 126/16 रकबा 04.00.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री मदनलाल पुत्र श्री घेवरराम वगैरहा</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • आवेदित भूमि को न्यूनतम 80 फीट का पहुँच मार्ग उपलब्ध होना आवश्यक है। • जोन चैक लिरट अनुसार आवेदित भूमि को मौके पर उपलब्ध 15 फीट कटाणी मार्ग से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। • कटाणी रास्ते का प्रस्तावित मार्गाधिकार बाबत निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। • प्रकरण को भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 08.07.2019 में रखा गया तथा प्रकरण में आवेदित भूमि को आस पास सड़क की मौका रिपोर्ट एवम् उक्त सड़क पर पूर्व में संपरिवर्तित प्रकरणों में निर्धारित सड़क चौड़ाई की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा न्यूनतम पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाने हेतु प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। • समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में जोन स्तर से रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिसके अनुसार आवेदित भूमि 80 फीट समर्पित सड़क पर स्थित है। साथ ही पैरा संख्या 17/एन पर पटवारी रिपोर्ट अनुसार पूर्व में कार्यालय द्वारा खसरा संख्या 126/7 के सामने स्थित 26 फीट राजस्व मार्ग को 80 फीट मार्गाधिकार करते हुए अनुमोदन किया गया है। <p>समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग पर पूर्व में 80 फीट मार्गाधिकार रखते हुए संपरिवर्तन किये गये हैं अतः उक्त रास्ते का मार्गाधिकार न्यूनतम 80 फीट रखने हेतु सड़क मध्य से 40 फीट भूमि निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी। • मौके पर स्थित सड़क से आवेदित भूमि की दूरी बाबत रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। • प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। • उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। • प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। • प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोड़ा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
22.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/10, 128/42 रकबा 01.15.01 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्री संजयकुमार पुत्र श्री चन्द्रभान</p> <p>भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • जोन चैकलिस्ट अनुसार राज्य सरकार को समर्पित 15 फीट चौड़ा तरमीन मार्ग जिसे 80 फीट चौड़ा मानते हुए पूर्व में खसरा संख्या 126/7 का मानचित्र अनुमोदित किया जा चुका है। • प्रकरण को भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी) की बैठक दिनांक 08.07.2019 में रखा गया तथा प्रकरण में आवेदित भूमि को आस पास सड़क की मौका रिपोर्ट एवम् उक्त सड़क पर पूर्व में संपरिवर्तित प्रकरणों में निर्धारित सड़क चौड़ाई की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा न्यूनतम पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाने हेतु प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। • समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में जोन स्तर से रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिसके अनुसार आवेदित भूमि 80 फीट समर्पित सड़क पर

स्थित है। समर्पित भूमि के खसरा संख्या 128/39 है। साथ ही पैरा संख्या 20/एन पर पटवारी रिपोर्ट अनुसार पूर्व में कार्यालय द्वारा खसरा संख्या 126/7 के सामने स्थित 26 फीट राजस्व मार्ग को 80 फीट मार्गाधिकार करते हुए अनुमोदन किया गया है।

समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग पर पूर्व में 80 फीट मार्गाधिकार रखते हुए संपरिवर्तन किये गये हैं अतः उक्ता रास्ते का मार्गाधिकार न्यूनतम 80 फीट रखने हेतु सड़क मध्य से 40 फीट भूमि निःशुल्क समर्पित करनी होगी जिसकी सुनिश्चिता जोन द्वारा की जानी होगी।
- मौके पर स्थित सड़क से आवेदित भूमि की दूरी बाबत रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
- प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
- उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
- प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
- प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार की यदि एच.टी लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार सेफ्टी कॉरिडोर छोड़ा जाना होगा। उक्त सुनिश्चिता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



(गौरव अग्रवाल)
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



(ओ.पी. बुनकर)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर




(ए.के. गुप्ता)
निदेशक अभियांत्रिकी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



(श्रवणसिंह राजावत)
उपायुक्त (उत्तर/पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



(ओ.पी. विश्नोई)
उपायुक्त (पूर्व/दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



(पी.आर. बेनीवाल)
निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 06/2019 वीं बैठक दिनांक 29.08.2019 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री ओ.पी. बुनकर, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर | सदस्य |
| 3. श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री श्रवणसिंह राजावत, उपायुक्त (उत्तर/पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री ओ.पी. विश्वाकर्षी, उपायुक्त (पूर्व/दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एल.पी.)

क्रमांक :-F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी)/का.वि./2019/6581-6589

दिनांक:- 05.09.2019

प्रतिलिपि :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी श्री हेमराज को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एल.पी.)